11.2.23	प्रार्थी (...) के [illegible] के [illegible] [illegible] पत्रावली [illegible] के [illegible] [illegible] [illegible] प्रमाण पत्र के [illegible] [illegible] नहीं होने कारण [illegible] [illegible]। [illegible] ने [illegible] [illegible] पत्र के [illegible] बिन्दुओं की [illegible], [illegible] के [illegible] के [illegible] व [illegible] के शपथ पत्र [illegible] एवं [illegible] के [illegible] प्रस्तुत किये। [illegible] की [illegible] पत्रावली [illegible] के [illegible] [illegible] पत्रावली पर [illegible] व [illegible] दस्तावेजों [illegible] [illegible] के [illegible] पत्र स्वीकार [illegible] [illegible] जाता है [illegible] का [illegible] पत्र स्वीकार किया जाता है। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] पत्रावली [illegible]	[illegible] प्रकरण में सन्निहित प्रभावित नहीं है [signature] 11.2.23

बउनवान .... बनाम ....

धारा .... मुकदमा नं. .... ऑनलाईन नं. ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम हुक्म की तामील मे जारी
	[illegible] बाद तामील वापिस [illegible]	

न्यायालय उपजिला कलेक्टर सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

बईजलास राजेश डागा (आर.ए.एस)

मिसल नं. /2023

बउनवान

श्योराम उर्फ शिवराज आयु 30 वर्ष आत्मज बिशना जाति गुर्जर निवासी ग्राम चौसला तहसील खानपुर जिला झालावाड राजस्थान हाल निवासी ग्राम डंडिया तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान। —वादी—

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा

— प्रतिवादी —

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :—

वादी की ओर से :— श्री बाबूलाल अरविन्द एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से :— पैरोकार सरकार

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 11/2/2023

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने इस न्यायालय मे दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम डण्डिया पटवार हल्का कुराडियाखुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा मे खाता संख्या नई 111 पुरानी 106 के खसरा नं. 149 की 1.96 हैक्टर खसरा नं. 231 की 0.31 हैक्टर, खसरा नं. 233 की 0.04 हैक्टर, खसरा नं. 247 की 0.12 हैक्टर, खसरा नं. 249 की 0.17 हैक्टर, खसरा नं. 251 की 0.77 हैक्टर, खसरा नं. 280 की 0.22 हैक्टर, खसरा नं. 287 की 0.07 हैक्टर कुल किता 8 की कुल 3.66 हैक्टर की आराजीयात स्थित है जिसमे वादी का नाम श्योराम पुत्र बिशना दर्ज है तथा उक्त आराजीयात के राजस्व रेकार्ड मे वादी का 1/24 हिस्सा दर्ज है तथा वाद पत्र की मद नं. 1 मे वर्णित आराजीयात वादी की पुश्तैनी आराजीयात है तथा वादी के पिता बिशना जी की मृत्यु के बाद बिशना जी के वारिसान के नाम दर्ज हुये है वादी का नाम राजस्व कर्मचारियों द्वारा श्योराम पुत्र बिशना गलत दर्ज किया गया है वादी का नाम शिवराज आत्मज बिशना है। वादी के नाम से जारी आधार कार्ड, पेन कार्ड, जन आधार कार्ड, ई श्रम कार्ड सभी दस्तावेजात मे वादी का नाम शिवराज अंकित है। जो दस्तावेजात मे दर्ज नाम सही दर्ज किया

Conti ---2

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद, जिला- कोटा

गया है। तथा वादी के खाते की उक्त आराजीयात मे श्योराम पुत्र बिशना नाम दर्ज होने तथा दस्तावेजात मे वादी का नाम शिवराज दर्ज होने से वादी को उक्त आराजीयात मे विकास कार्य कराने, बैंक ऋण प्राप्त करने तथा अन्य सभी कार्यों मे काफी कठिनाईयों का सामना करना पडता है। राजस्व रेकार्ड व दस्तावेजात मे भिन्नता होने से उक्त आराजीयात मे विकास कार्य नही करवा पा रहा है। ऐसी स्थिति मे वादी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि उक्त आराजीयात के राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नाम श्योराम पुत्र बिशना के स्थान पर शिवराज पुत्र बिशना नाम दर्ज करावे। राजस्व रेकार्ड मे नाम दुरुस्त कराकर वादी का नाम शिवराज पुत्र बिशना दर्ज कराना आवश्यक है। वादी द्वारा पटवारी हल्का से राजस्व रेकार्ड मे हुई गलती को दुरस्त कराने के लिए कहने पर पटवारी ने राजस्व रेकार्ड मे हुई गलती को दुरस्त करने से मना कर दिया तथा न्यायालय से आदेश लाने की कहकर उक्त नाम दुरस्त करने से मना कर दिया। जिसके लिए उक्त वाद पत्र माननीय न्यायालय मे अवधि मध्य उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत किया गया है।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी की गई जिसमे प्रतिवादी उपस्थित हुये पेरोकार सरकार द्वारा प्रकरण मे राजहित प्रभावित नही होने बाबत अपनी सहमति दी गई तथा वादी के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे वाद पत्र मे वर्णित बिन्दुओं को दोहराया गया तथा स्वयं व दुर्गालाल व सुमित्रा बाई सहखातेदारान के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये।

बहस सुनी जाकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया तथा पत्रावली पर विद्यमान तथ्यों व संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन करने मे उक्त वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है तथा वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि माल ग्राम डण्डिया पटवार हल्का कुराडियाखुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा मे खाता संख्या नई 111 पुरानी 106 के खसरा नं. 149 की 1.96 हैक्टर खसरा नं. 231 की 0.31 हैक्टर, खसरा नं. 233 की 0.04 हैक्टर, खसरा नं. 247 की 0.12 हैक्टर, खसरा नं. 249 की 0.17 हैक्टर, खसरा नं. 251 की 0.77 हैक्टर, खसरा नं. 280 की 0.22 हैक्टर, खसरा नं. 287 की 0.07 हैक्टर कुल किता 8 की कुल 3.66 हैक्टर के राजस्व रेकार्ड मे वादी का श्योराम पुत्र बिशना नाम दुरस्त कर सही नाम शिवराज पुत्र बिशना दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावें।

आदेश आज दिनांक 11/02/2023 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
(राजेश डागा)
सांगोद जिला- कोटा
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी सांगोद
जिला कोटा राजस्थान।